

गैर सरकारी विद्यालय द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र--'क'
दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25% निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20 - 20
(आर.टी.ई. नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

जिला-

ब्लॉक-

नॉडल विद्यालय-

निजी विद्यालय का नाम व पता-

बैंक खाते का विवरण :- खाता संख्या-

बैंक का नाम-

क्र.सं.	कक्षा	कक्षा के कुल स्थानों की 25 प्रतिशत संख्या	विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष नियमानुसार कक्षावार निर्धारित शुल्क की राशि	न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या								कुल निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी	क्या विद्यालय को कोई भूमि, भवन, उपस्कर व अन्य सुविधाएं निःशुल्क अथवा रियायती दर पर प्राप्त हुई है? यदि हां. तो विवरण दें।	निःशुल्क प्रवेशित बालकों की प्रमाणित सूची संलग्न है अथवा नहीं?
				दुर्बल वर्ग के विद्यार्थी		असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थी					कुल निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी			
				BPL	न्यून आय वर्ग (आय 2.50 लाख तक)	SC	ST	OBC (आय 2.50 लाख तक)	SBC (आय 2.50 लाख तक)	निःशक्त बालक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची संलग्न की जा रही है।
2. इन बालकों के प्रवेश के लिए आर.टी.ई. के प्रावधानुसार प्रवेश प्रक्रिया की पालना पूर्ण रूप से की गयी है तथा इन विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख संधारित कर लिये गये हैं।
3. विद्यालय को कोई भी भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं निःशुल्क या रियायती दर से प्राप्त नहीं हुई हैं।
4. बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों में किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान वसूल किया जायेगा।
5. विभाग द्वारा जांच करने पर किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है तों शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा और दी गयी प्रतिपूर्ति की राशि लौटा दी जावेगी।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि..... विद्यालय..... द्वारा प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जांच कर ली गयी है तथा दावा आर.टी.ई. के प्रावधानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र- 'ख'
दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25: निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20 -20
(आर.टी.ई. नियम 1.1(6) के अन्तर्गत दावा)

ब्लॉक

ज़िला का नाम --

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी संख्या								शुल्क के आधार पर देय प्रतिपूर्ति की राशि	राज्य सरकार द्वारा तय यूनिट कॉस्ट के आधार पर देय राशि	कॉलम संख्या 11 व कॉलम 12 में जो कम है वह राशि	वि.वि.
		पूर्व प्राथमिक	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में सम्मिलित सभी विद्यालयों का दावा प्रपत्र 'क' में प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वनीयता व वैधता की जाँच कर ली गयी है तथा दावा आर.टी.ई. प्रावधानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'ग' दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25: निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20 -20 (आर.टी.ई. नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

जिला-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	आर.टी.ई. एक्ट, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की कक्षावार संख्या										निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के लिए प्रतिपूर्ति की राशि	विशेष विवरण
		पूर्व प्राथमिक	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है

1. कॉलम संख्या 13 में मांग की गई राशि विद्यालय द्वारा कक्षावार वसूल की जा रही फीस/विभाग द्वारा तय प्रतिबालक प्रतिपूर्ति की राशि दोनों में जो न्यून है उसके आधार पर गणना की गई है।
2. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिपूर्ति के दावों के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावों की विश्वनीयता व वैधता की जाँच करवा ली गयी है। तथा दावा आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा